राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ ( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/41 **दिनांक : 17/12/15**

न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड,
रीजनल ऑफिस, द्वितीय तल नेहरू पैलेस,
टोंक रोड़, जयपुर–302015
फोन नं. 0141–2740974
E-mail : rm.singh@newindia.co.in

विषय :– भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालो को अनुबन्धित करने तथा पूर्व अनुबन्धित निजी अस्पतालो के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ 13 दिसम्बर 2015 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा किया गया हैं। आपसे अनुरोध है कि इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओ पर विशेष ध्यान दें:–

1. जिला मुख्यालय पर पर्याप्त मात्रा में निजी अस्पतालों को अनुबन्धित करें जिससे की आम जनता को समुचित स्वास्थ्य सेंवायें उपलब्ध हो।
2. जैसा कि पूर्व **पत्रांक 14 दिनांक 07.12.2015** से आपको अवगत कराया गया हैं कि टर्सरी लेवल के अस्पतालो का एम्पेनलमेन्ट आज दिनांक तक शुरू नही किया गया है अतः इसे अतिशीघ्र प्रारम्भ कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।
3. सम्भागीय मुख्यालय के जिलो पर पर्याप्त मात्रा में निजी अस्पतालों को अनुबन्धित करे एवं इनमें टर्सरी लेवल के निजी अस्पतालो का भी पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।
4. सभी निजी अस्पतालों को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड समय पर उपलब्ध हो यह आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाये। सरकारी एवं निजी अस्पतालो के यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण आपके द्वारा किया जायेगा।
5. सभी निजी अस्पतालो को अनुबन्धित करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए की वे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अनुबन्धित होने के लिए सभी नियम व शर्ते पूर्ण करे एवं अनुबन्ध करते समय अस्पतालो की गुणवत्ता जांच ली जाये।

(डॉ. नीरज के. पवन)
सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांकः एफ ( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/41 **दिनांक : 17/12/15**

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
2. निजी सचिव, एम.डी., आर.आई.एस.एल., राजस्थान।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, समस्त ।
6. समस्त, प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एन.एच.एम., राजस्थान।
9. न्यू इण्डिया ऐश्योरंस कम्पनी लिमिटेड।
10. प्रभारी सर्वर रूम को लेख है कि ई–मेल एवं वेब साइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी